रविन्द्र सिंह बनाम जसविन्द्र सिंह वगै0

नंबरी दीवानी वाद संख्या – 12/2016 (सीआईएस सं. 12/2016)

07.03.2026

उभय पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा दिनांक 20.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) सपठित आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. पर बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को ही सारभूत रूप से तर्कों के रूप में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ में दिनांक 26.10.2015 को रविन्द्रसिंह बनाम मनजीतसिंह सिविल वाद प्रकरण संख्या 46/2015 विक्रय अनुबंध दिनांक 18.07.2014 की पालना व शाश्वत व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें वादी के द्वारा गुरदीप कौर की दिनांक 16.12.1992 की वसीयत जसविन्द्र सिंह द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किए जाने के अभिकथन दर्ज किए हैं। साथ ही कथन किए कि जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदेवसिंह ने वादग्रस्त कृषि भूमि की फर्जी वसीयत तैयार करके उसके आधार पर राजस्व न्यायालय एवं सहायक कलक्टर उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 92, 188 आरटीए का वाद प्रस्तुत करके दिनांक 21.11.2013 का निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली। परंतु वादी ने पूर्ववर्ती वाद में, वसीयत को निरस्त करवाने व सहायक कलक्टर व उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने हेतु अनुतोष बाबत अलग से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय से प्राप्त नहीं की। इस प्रकार वादी ने जिन अनुतोषों का लोप पूर्ववर्ती वाद में कर दिया, उनके संबंध में हस्तगत पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत करने का वादी को अधिकार नहीं है। अतः हस्तगत वाद आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

01. Pramod Kumar & Anr. Vs. Zalak Singh & Ors. 2019 DNJ (SC) 669

02. COFFEE BOARD Vs. RAMESH EXPORTS PVT.LTD. (2014) DNJ 714

03. VIRGO INDUSTRIES (ENG.)P.LTD. Vs. VENTURETECH SOLUTIONS P. LTD. (2013) 1 scc 625

04. THE CORRESPONDENCE, RBANMS EDUCATIONAL INSTITUTION Vs. B. GUNASHEKAR & ANOTHER (2025) 2 DNJ 652

जिसके खंडन में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को ही तर्कों के रूप में प्रस्तुत करते हुए सारभूत रूप से निवेदन किया कि प्रतिवादी के द्वारा कोई भी प्रतिरक्षा हस्तगत दावे के अपने जवाबदावे में इस विषय पर नहीं ली गई है, न ही इस विषय पर कोई विवाद्यक की विरचना की गई। इसलिए हस्तगत आधार पर आदेश 07 नियम 11 सि.प्र.सं. के विषय को उठाया जाना संभव नहीं है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय में संविदा की पालना का प्रस्तुत किया गया वाद व हस्तगत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वसीयत को निरस्त करवाने का वाद अलग–अलग वाद हेतुक पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। संविदा की पालना के पूर्ववर्ती वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी अजनबी व्यक्ति था, जिसे पश्चातवर्ती स्टेज पर पक्षकार के रूप में जोड़ा गया था, इसलिए पूर्ववर्ती वाद व हस्तगत वाद के पक्षकार भी समान नहीं होने के कारण आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वहीं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ में प्रस्तुत वाद व हस्तगत वाद की प्रकृति, विषयवस्तु व प्रकार अलग–अलग होने के कारण भी प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

खारिज किया जावे। साथ ही विकल्प में यह भी अनुतोष चाहा कि प्रार्थी /प्रतिवादी ने हस्तगत प्रार्थनापत्र मात्र देरीना करने के आशय से बदयांति से प्रस्तुत किया है। जबकि प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद की शीघ्र सुनवाई किए जाने के आदेश जारी किए हुए हैं। प्रकरण में वादी की बहस सुनी जा चुकी है। अतः प्रार्थनापत्र भारी हर्जे-खर्चे पर खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया व मार्गदर्शन प्राप्त किया।

आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. से संबंधित विधिक स्थिति के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की **संवैधानिक पीठ** के द्वारा न्यायिक दृष्टांत Gurbux Singh Vs. Bhooralal 1964 AIR(SC) 1810 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की **वृहत पीठ** द्वारा न्यायिक दृष्टांत Vurimi Pullarao Vs. Vemari Vyankata Radharani and Others 2020 AIR(SC) 395 में प्रकट मत का अध्ययन किया जाना उचित होगा।

न्यायिक दृष्टांत Gurbux Singh Vs. Bhooralal 1964 AIR(SC) 1810 में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पैरा नंबर 09 में निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''In order that a plea of a bar under O. 2 R. 2(3), Civil Procedure Code should succeed the defendant who raises the plea must make out (1) that the second suit was in respect of the same cause of action as that on which the previous suit was based; (2) that in respect of that cause of action theplaintiff was entitled to more than one relief; (3) that being thus entitled to more than one relief the plaintiff, without leave obtained from the Court omitted to sue for the relief for which the second suit had been filed. From this analysis it would be seen that the defendant would have to establish primarily and to start with, the precise cause of action upon which the previous suit was filed, for unless there is identity between the cause of action on which the earlier suit was filed and that on which the claim in the later suit is based there would be no scope for the application of the bar.''

इसी प्रकार माननीय उच्चतम की **वृहत पीठ** द्वारा न्यायिक दृष्टांत Vurimi Pullarao Vs. Vemari Vyankata Radharani and Others 2020 AIR(SC) 395 के पैरा नंबर 11 में निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''The rationale underlying in Order 2 Rule 2 has been dealt with in several judgments including in the decision of the Privy Council in Mohd. Khalil Khan vs. Mahbub Ali Mian, (1947-48) 75 IA 121, the Privy Council held:

(1) The correct test in cases falling Under Order 2 Rule 2, is whether the claim in the new suit is in fact founded upon a cause of action distinct from that which was the foundation for the former suit.

(2) The cause of action means every fact which will be necessary for the Plaintiff to prove if traversed in order to support his right to the judgment.

(3) If the evidence to support the two claims is different, then the causes of action are also different.

(4) The causes of action in the two suits may be considered to be the same if in substance they are identical.

(5) The cause of action has no relation whatever to the defence that may be set up by the Defendant, nor does it depend upon the character of the relief

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

prayed for by the Plaintiff. It refers to the media upon which the Plaintiff asks the court to arrive at a conclusion in his favour.

In order to attract the applicability of the bar enunciated Under Order 2 Rule 2, the cause of action on which the subsequent claim is founded ought to have arisen to the Plaintiff when enforcement of the first claim was sought before the Court.

In Virgo Industries (Eng.) Private Limited (supra), the provisions of Order 2 Rule 2 came up for consideration before a two judge Bench of this Court. The Court observed:

10. The object behind the enactment of Order 2 Rules 2(2) and (3) Code of Civil Procedure is not far to seek. The Rule engrafts a laudable principle that discourages/prohibits vexing the Defendantagain and again by multiple suits except in a situation where one of the several reliefs, though available to a Plaintiff, may not have been claimed for a good reason. A later suit for such relief is contemplated only with the leave of the court which leave, naturally, will be granted upon due satisfaction and for good and sufficient reasons.

These principles have been reiterated in the more recent decision in Pramod Kumar (supra)."

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतो में जो न्यायिक मत प्रकट किए गए हैं, उनके संदर्भ में जब हस्तगत प्रकरण का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय को हस्तगत प्रार्थनापत्र के संदर्भ में मात्र यही देखना है कि पूर्व में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद रविन्द्र सिंह बनाम मनजीत सिंह वगैरह दावा बाबत विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा दिनांक 18.07.2014, जिसे वादी की ओर से प्रदर्श–63 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, में जो वाद कारण, दावे की मद संख्या 06 में दर्शित किया गया है, क्या उसी वाद कारण से हस्तगत दावे के अनुतोष के संबंध में भी वाद कारण सृजित हुआ है या नहीं?

इस संबंध में जब वादी के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किए गए दावे में जो तथ्य वाद कारण के संबंध में दर्ज किए गए हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उक्त वाद में वादी के द्वारा वाद कारण मद संख्या 06 में दर्ज किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

''यह कि मुखत्यारनामा मन्सूखी का नोटिस मिलते ही वादी को गहरा धक्का लगा और वादी तुरंत प्रतिवादीगण के पास सम्पर्क करने चला गया। वादी ने प्रतिवादीगण से इसका कारण पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जसविन्द्र सिंह उन्हें कृषि भूमि के चार लाख रुपये देने का वायदा किया है इसलिए उन्होंने मुखत्यारनामा मन्सूख कर तेजप्रताप सिंह को दिया है, जो न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ में चल रहे प्रकरण में कार्यवाही को वापिस लेगा। वादी ने जब अपने इकरारनामे की अनुपालना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें दो लाख रुपये और दो तो वापिस मुखत्यारनामा देने को तैयार हैं अन्यथा इकरारनामा की अनुपालना नहीं करेंगे। प्रतिवादीगण लालच से वशीभूत होकर जसविन्द्र सिंह से दुर्भिसंधि कर इकरारनामा दिनांक 18.07.2014 की अनुपालना करने से स्पष्ट इंकार हो गए। लिहाजा यही वाद का मुख्य कारण है। ''

वहीं जब हस्तगत वाद का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत वाद में वादी ने वसीयत दिनांकित 16.12.1992 को निरस्त करवाने तथा उक्त वसीयत दिनांकित 16.12.1992 के आधार पर प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा सहायक कलक्टर व उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 106/2013 शीर्षक जसविन्द्र सिंह बनाम गुरदीप कौर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2013 को निरस्त करवाने व शाश्वत व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

इस प्रकार वादी द्वारा हस्तगत वाद में जो अनुतोष चाहा है, उक्त अनुतोष का, वादी के द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किए गए पूर्ववर्ती वाद प्रदर्श-63, जो इकरारनामा दिनांकि 18.07.2014 की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए प्रस्तुत किया गया है, के मद संख्या 06 में दर्ज किए गए वाद कारण के संदर्भ में जब अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि हस्तगत वाद में चाहे गए अनुतोष का सृजन, पूर्ववर्ती वाद प्रदर्श-63 की मद संख्या 06 में वर्णित वाद कारण से हुआ हो, इस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा लेशमात्र भी समाधान इस न्यायालय का करवाने में असफल रहा है। इस संबंध में प्रार्थनापत्र में व बहस के दौरान सर्वाधिक अहम व महत्वपूर्ण तर्क प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 की ओर से यही रहा है कि पूर्ववर्ती वाद में वादी ने गुरदीप कौर की वसीयत दिनांकित 16.12.1992 को फर्जी रूप से तैयार किए जाने के कथन किए हैं, लेकिन उक्त पूर्ववर्ती वाद में उक्त वसीयत दिनांकित 16.12.1992 को निरस्त करवाने के लिए कोई अनुतोष नहीं चाहा और न ही पूर्ववर्ती वाद में उक्त वसीयत के आधार पर पारित किए गए उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2013 राजस्व वाद प्रकरण संख्या 106/2013 में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने का कोई अनुतोष चाहा, इसलिए हस्तगत वाद में वादी उक्त अनुतोष प्राप्त करने से आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. के अंतर्गत बाधित हो, यह समाधान प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के तर्कों से नहीं होता है। वहीं मात्र पूर्ववर्ती वाद में वसीयत दिनांकित 16.12.1992 के फर्जी होने का तथ्य अंतर्विष्ट करने के आधार पर ही इस न्यायालय के विनम्र न्यायिक मत में, पूर्व वाद की मद संख्या 06 में दर्ज वाद कारण से हस्तगत वाद का वाद कारण सृजित होना नहीं माना जा सकता।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाबदावे में आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. के संदर्भ में किसी प्रकार की प्रतिरक्षा नहीं ली है । इस संबंध में अप्रार्थी /वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **Alka Gupta Vs. Narender Kumar Gupta AIR 2011 SUPREME COURT 9** से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

जहां तक प्रश्न प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का है, तो उक्तानुसार प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनज़र तथ्य एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

इस प्रकार उक्त तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी /प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा प्रस्तुत किया गया हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा दिनांक 20.12.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) सपठित आदेश 02 नियम 02 सि.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

प्रकरण में वादी की बहस सुनी जा चुकी है। प्रतिवादीगण की बहस ही शेष चल रही है। अतः पत्रावली बहस अंतिम प्रतिवादीगण में अंतिम अवसर के साथ दिनांक 11.3.26 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

11.3.26

अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस अंतिम के लिये समय चाहा। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को बहस अंतिम के लिये अंतिम अवसर दिया जाता है, आइन्दा बहस नहीं करने की दशा में बहस अंतिम का प्रतिवादीगण का अवसर समाप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के लिये आदेश हेतु [illegible]। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम प्रतिवादीगण को दिनांक 17.3.26 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर